2026 का विधेयक सं. 9

राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

आयुष के क्षेत्र में दक्ष और व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक अध्यापन, अनुसंधान और सम्बद्धक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आयुष नीति और राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2026 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से धारा 37 के अधीन सम्बद्ध महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदित संस्था" से धारा 40 के अधीन अनुमोदित संस्था अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारी" से इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;

(घ) "आयुष" से चिकित्सा की आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धति अभिप्रेत है;

(ङ) "बोर्ड" से धारा 11 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "संकाय" से इस अधिनियम के अधीन गठित आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संकाय अभिप्रेत है;

(छ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए संधारित निवास की इकाई अभिप्रेत है;

"(ज) "चिकित्सा की भारतीय पद्धति" से योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को सम्मिलित करते हुए, चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेद पद्धति अभिप्रेत है, चाहे ऐसे आधुनिक अभिवर्धनों द्वारा अनुपूरित हो या न हो, चिकित्सा की भारतीय पद्धति के मौलिक सिद्धान्तों से संगत हों और जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;

(झ) "संस्था" से चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण देने में तथा अनुसंधान और विकास में लगी हुई कोई शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "रा.शि.नी." से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से परिनियमों, आर्डिनेन्सों या नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड) "मान्यताप्राप्त संस्था" से धारा 39 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ढ) "परिनियमों", "आर्डिनेन्सों" और "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;

(त) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर अभिप्रेत है;

(थ) "विश्वविद्यालय केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जहां अनुसंधान किया जाता है या स्नातकोत्तर अध्ययन किया जाता है, जैसाकि परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा, उस निमित्त अवधारित किया जाये;

(द) "विश्वविद्यालय महाविद्यालय" से ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित करे या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसके द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है; और

(ध) "विश्वविद्यालय विभाग" से ऐसा कोई स्नातकोत्तर या अनुसंधान संस्था या विभाग अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित किया जाये।

अध्याय-2
विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलगुरु और विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण किये रहते हैं, "राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा

विश्वविद्यालय, अजमेर" के नाम से इसके द्वारा एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय अजमेर में होगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित करने, अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर उधार लेने, और संविदा करने और संदान प्राप्त करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी उधार लेने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य.- विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः अध्यापन, अनुसंधान, शिक्षा के विस्तार और सेवा तथा प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति और रा.शि.नी. के अनुसार अन्य विषयों और समझ के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेषत: निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

(1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के नये अविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना तथा रा.शि.नी., आयुष और स्वास्थ्य नीतियों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना;

(2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य-समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व व्यष्टियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना;

(3) आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुकर बनाना;

(4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों, मीडिया और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आयुष के समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना;

(5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं को लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना;

(6) देश और देश के बाहर के विभिन्न भागों के समस्त विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना; और

(7) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.- ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या अधीन विहित की जायें, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:-

(1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति की शाखाओं में और केन्द्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों के अनुसार ऐसी अन्य शाखाओं में शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान उपलब्ध कराना, जैसा वह उचित समझे, उक्त पद्धति के ज्ञान के अनुसंधान, अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना और चिकित्सा की भारतीय पद्धति के ज्ञान को उसकी मौलिक संकल्पना और आयुष तथा स्वास्थ्य नीतियों और रा.शि.नी. के अनुसार किन्हीं अन्य शाखाओं के अनुसार प्रोन्नत और प्रोत्साहित करना;

(2) ऐसे उपबंध करना जो संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं को अध्ययन संबंधी विशेषज्ञता का उत्तरदायित्व लेने के लिए समर्थ बनाना;

(3) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य औषध निर्माण प्रयोगशालाओं, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कल्याण केन्द्रों, संग्रहालयों, औषधालयों और अन्य उपस्करों को स्थापित और संचालित करना;

(4) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन के विश्वविद्यालय केन्द्रों और संस्थानों को स्थापित करना, संभालना, चलाना, प्रबंध करना और पर्यवेक्षण करना;

(5) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अध्यापकों के कोई भी अन्य पद संस्थित करना;

(6) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह-आचार्यों या सहायक आचार्यों के रूप में या अन्यथा अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(7) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम या अनुदेश अधिकथित करना;

(8) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय केन्द्रों या मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन के लिए मार्गदर्शन करना;

(9) डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित करना;

(10) परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना जिन्होंने-

(क) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार, जब तक कि

उनसे परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित रीति से छूट न दे दी गयी हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, या

(ख) आर्डिनेन्सों या नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है;

(11) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना;

(12) शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और ऐसे विशेषाधिकार वापस लेना;

(13) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्युपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के समुचित स्तरमान बनाये रखे गये हैं और उनमें पुस्तकालय और प्रयोगशाला के पर्याप्त उपबंध किये गये हैं;

(14) सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थाओं और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के क्रियाकलापों का, मानकों के अनुसार नियंत्रण और समन्वय करना, उन्हें वित्तीय सहायता देना;

(15) न्यास और विन्यास धारण करना और प्रबंध करना और अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदत्त करना;

(16) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें, नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना;

(17) छात्रावास स्थापित करना, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;

(18) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने की व्यवस्था करना;

(19) विश्वविद्यालय केन्द्रों, विश्वविद्यालय विभागों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य या अनुमोदित संस्थाओं के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के संचालन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना;

(20) निम्नलिखित स्थापित करना और उनका प्रबंध करना, अर्थात्:-

(क) प्रकाशन विभाग,

(ख) औषध निर्माण विभाग,

(ग) हर्बल गार्डन,

(घ) अनुसंधान केन्द्र, और

(ङ) सूचना, शिक्षा और संचार ब्यूरो;

(21) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना-

(क) निवेश-बाह्य अध्यापन और अन्य मान्य क्रियाकलापों के लिए,

(ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं के लिए,

(ग) छात्र संघों के लिए, और

(घ) खेलों और व्यायाम-विषयक क्रियाकलापों के लिए;

(22) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से सहयोग करना;

(23) अनुसंधान-विदों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और चिकित्सा की भारतीय पद्धति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षा देने या चिकित्सा की भारतीय पद्धति के अध्ययन में अन्यथा

सहायता देने के लिए आमंत्रित करना और उनके मानदेय और उन्हें संदेय अन्य खर्चे अवधारित करना;

(24) चिकित्सा की भारतीय पद्धति विषय पर पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, नियतकालिक पत्रिकाओं, पैम्फ्लेटों और कागजातों का संग्रह करना, सम्पादन या प्रकाशन करना और तत्प्रयोजनार्थ कार्यशाला स्थापित करना और मुद्रणालय खोलना;

(25) चिकित्सा, फार्माकोपिया, पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, विष विज्ञान और चिकित्सा की भारतीय पद्धति के इतिहास के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना या उसमें सहायता करना;

(26) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिए विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, अभ्यागत आचार्यों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(27) विदेशी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं आदि से सहयोग कार्यक्रमों के लिए उस निमित्त केन्द्र और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, निधियां प्राप्त करना;

(28) महाविद्यालयों या संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के कार्य के कालिक निर्धारण के लिए उपबंध करना;

(29) उस उद्देश्य से संगत प्रयोजन के लिए अनुदान, अभिदाय, संदान और दान प्राप्त करना, जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

(30) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या न हो, और सामान्यतया चिकित्सा की भारतीय पद्धति के साथ-साथ

विद्या की उसकी अन्य शाखाओं को विकसित और प्रोन्नत करना;

(31) इसके अतिरिक्त, रा.शि.नी. के अनुसार कोई अन्य विषय/पाठ्यक्रम/संकाय संस्थित किये जायेंगे; और

(32) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के विकास एवं संवर्धन के लिए, विश्वविद्यालय, फार्मेसी स्टोर और आयुष उत्पाद केन्द्र खोल और संचालित कर सकेगा।

6. अधिकारिता.- (1) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) के अधीन किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रसार, राजस्थान राज्य के भीतर उसके समस्त घटक, संबद्ध, या स्वायत्त महाविद्यालयों और ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों पर भी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालय को राज्य के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय को सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से ऐसी सीमा तक, जो

आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रमाणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ऐसे महाविद्यालयों के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधन और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

7. विश्वविद्यालय में प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

(क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तरमान नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या

(ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, रखे रखना; या

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या रखे रखना; या

(घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना,

अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और किन्हीं अन्य प्रवर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

8. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे

व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उसमें निहित किये जायें।

9. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत समय सीमा के भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए स्वविवेक से किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 3
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i) प्रबंध बोर्ड,
(ii) विद्या परिषद्,
(iii) संकाय,
(iv) अध्ययन बोर्ड,
(v) वित्त और लेखा समिति,
(vi) अनुसंधान बोर्ड,
(vii) खेल और छात्र कल्याण बोर्ड,
(viii) नवाचार बोर्ड, और

(ix) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये।

11. प्रबंध बोर्ड.- (1) विश्वविद्यालय का एक प्रबंध बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। कुलाधिपति, जैसे ही प्रथम कुलगुरु नियुक्त कर दिया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे बोर्ड का गठन करने की कार्रवाई करेगा।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(I) विश्वविद्यालय का कुलगुरु- **पदेन अध्यक्ष;**

(II) पदेन सदस्य-

(i) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ii) आयुष विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(iii) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(iv) निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान सरकार;

(v) निदेशक, होम्योपैथी, राजस्थान सरकार;

(vi) निदेशक, यूनानी, राजस्थान सरकार;

(vii) कुलगुरु, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, जयपुर; और

(viii) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव होगा, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (ii) से (iii) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(III) नामनिर्देशित और सहयोजित सदस्य-

(i) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्;

(ii) राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित आयुष क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख उद्योगपति;

(iii) कुलगुरु, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा नामनिर्देशित, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का एक वरिष्ठ आचार्य;

(iv) विश्वविद्यालय के विभागों या संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे विभागों के विभागाध्यक्षों में से, कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, एक विभागाध्यक्ष;

(v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा की भारतीय पद्धति के दो शिक्षाविद्;

(vi) विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानसभा के दो सदस्य;

(vii) संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबंध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य; और

(viii) विश्वविद्यालय विभाग या संबद्ध महाविद्यालयों से, कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित, एक शिक्षक, जिसके पास स्नातकोत्तर अध्यापन या अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और जो

विश्वविद्यालय विभाग या संबद्ध महाविद्यालयों के विभागाध्यक्ष न हों।

(3) बोर्ड की बैठक में उपस्थित एक तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करेंगे।

(4) वर्ष में प्रबन्ध बोर्ड की कम से कम दो बैठकें होंगी और दो बैठकों के बीच का अंतराल छह मास से अधिक नहीं होगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्देशित और सहयोजित सदस्य उनके नामनिर्देशन या सहयोजन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

12. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य.- प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्-

(क) ऐसे उपबंध करना जो महाविद्यालयों और संस्थाओं को विशिष्ट अध्ययन करवाने के लिए और जहां आवश्यक या वांछनीय हों, आयोजित करने के लिए समर्थ बनाने और अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य पुस्तकालयों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों के लिए उपबंध करना;

(ख) विद्या परिषद् की सिफारिश पर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों को स्थापित करना और कर्मचारिवृंद के लिए आवास उपलब्ध करवाना;

(ग) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन परिनियमों और ऑर्डिनेन्सों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(घ) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासकीय मामलों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की आस्तियों और सम्पत्तियों का प्रशासन के लिए धारण, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें निष्पादित और रद्द करना;

(छ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना और इसकी अभिरक्षा और प्रयोग के लिए उपबंध करना;

(ज) इसके अपने उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, वित्तीय और लेखा समिति से यथा प्राप्त बजट प्राक्क्लनों का अनुमोदन करना;

(झ) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अंगीकृत करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, संदान और विश्वविद्यालय को किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण स्वीकार करना;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरण करना;

(ठ) वित्त और लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना, उधार देना या उनका विनिधान करना और संदान प्राप्त करना;

(ड) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर प्रशासकीय निधियों के लिए नीति अधिकथित करना;

(ढ) सम्मानिक उपाधियां और विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाधिपति को सिफारिश करना;

(ण) ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को संस्थित और प्रदत्त करना और जैसा परिनियमों द्वारा उपबंधित किया

जाये, उन्हें प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करना;

(त) अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पदक और पारितोषिक संस्थित करना;

(थ) परस्पर लाभप्रद शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग के लिए नियम बनाना;

(द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति के लिए अर्हता अवधारित करना;

(ध) विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, अन्य अध्यापकों, कुल-सचिव और नियंत्रक की नियुक्ति का अनुमोदन करना;

(न) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्येताओं और लेखकों की नियुक्तियां विनियमित और अनुमोदित करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन, और शर्तें अवधारित करना;

(प) परामर्शी और अन्य व्यक्तियों की संविदा आधार पर नियुक्ति करना;

(फ) विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विहित करना;

(ब) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि के अध्यधीन समस्त अनुमोदित संस्थाओं और संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए नियम और प्रक्रिया विहित करना;

(भ) फीस और अन्य प्रभार विहित करना;

(म) प्रश्न-पत्र निर्माताओं, परीक्षकों और परीक्षा संबंधी अन्य कर्मचारिवृंद, अभ्यागत शिक्षक वर्ग और विश्वविद्यालय को दी गयी ऐसी अन्य सेवाओं के लिए मानदेय, पारिश्रमिक और फीस तथा यात्रा और अन्य भत्ते विहित करना;

(य) विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में कुलगुरु से कालिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना;

(यक) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों के सम्यक् आचरण, कार्यकरण और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई जांच करवाना;

(यख) अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करवाना;

(यग) अनुसंधान या नवाचार या स्टार्टअप या परियोजना परामर्श आदि द्वारा राजस्व उत्पन्न करना; और

(यघ) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

13. विद्या परिषद.- (1) विद्या परिषद् अध्यापन, अनुसंधान के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार और शैक्षणिक मामलों के सहयोग कार्यक्रम और अध्यापकों के कार्यभार के मूल्यांकन के संबंध में शैक्षणिक नीतियां अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलगुरु- पदेन अध्यक्ष;

(ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ग) अध्ययन बोर्डों का अध्यक्ष;

(घ) कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित एक प्राचार्य;

(ङ) विश्वविद्यालय विभागों या कुलगुरु द्वारा नामनिर्देशित संबद्ध महाविद्यालयों के विभागों के दो विभागाध्यक्ष;

(च) महाविद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तथा मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थानों के अध्यक्षों से भिन्न, विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित किया गया, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक, जिसके पास अध्यापन में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा की भारतीय पद्धति के क्षेत्र में दो विख्यात विशेषज्ञ; और

(ज) कुल-सचिव विद्या परिषद् के पदेन-सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) विद्या परिषद् की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी और दो बैठकों के बीच का अंतराल छह मास से अधिक नहीं होगा।

(4) विद्या परिषद् के नामनिर्देशित या सहयोजित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी:

परन्तु कोई भी नामनिर्देशित सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

14. विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकारी होगा और विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और परीक्षाओं के स्तरमानों को विनियमित करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां संस्थित करने के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ख) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विषयों पर आर्डिनेन्स बनाने, संशोधित करने या निरसित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ग) बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन शैक्षणिक मामलों पर नियम बनाना, उन्हें संशोधित या निरसित करना;

(घ) संकायों को विषय आबंटित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के पदों के सृजन के लिए नवीन प्रस्तावों के संबंध में विचार करना और सिफारिश करना;

(छ) अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्ताव करना और उनको प्रदान करने के लिए नियम बनाना;

(ज) प्रश्नपत्र बनाने वालों, परीक्षकों, अनुसीमकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की अर्हताएं और मानक विहित करना;

(झ) विद्यमान पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और साध्यता, और नवीन ज्ञान या परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनर्विलोकित या उपांतरित करने की वांछनीयता या आवश्यकता के कालिक पुनर्विलोकन के लिए समितियाँ नियुक्त करना;

(ञ) साधारणतया सभी शैक्षणिक मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देना और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर प्रबंध बोर्ड को साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो, इस

अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

15. संकाय:- विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्:-

(i) आयुर्वेद,

(ii) योग और प्राकृतिक चिकित्सा,

(iii) यूनानी,

(iv) सिद्ध,

(v) होम्योपैथी, और

(vi) ऐसे अन्य संकाय, जो रा.शि.नी. के अनुसार, परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. संकायों की संरचना.- (1) संकायों में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष,

(ख) संकाय के विभागों के अध्यक्ष,

(ग) संबंधित संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले तीन प्रख्यात विद्वान्, और

(घ) संबंधित संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले दो अध्यापक।

(2) किसी संकाय के सहयोजित सदस्य तीन वर्ष की कालावधि या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारित करेंगे।

17. संकायों के कृत्य.- प्रत्येक संकाय निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) अध्ययन बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, विद्या परिषद् को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और परीक्षाओं की स्कीमों की सिफारिश करना;

(ख) विद्या परिषद् के माध्यम से, प्रबंध बोर्ड को यह सिफारिश करना कि कौन से अध्ययन बोर्ड संस्थित किये जाने चाहिए

और ऐसे बोर्डों का संख्या-बल क्या होना चाहिए और धारा 18 में उपबंधितानुसार उनका गठन करना;

(ग) उपाधियां और अन्य विद्या-संबंधी विशेष उपाधियां प्रदत्त करने की शर्तों की विद्या परिषद् को सिफारिश करना;

(घ) संकाय के समनुदेशित विषयों में कार्य का समन्वय करना;

(ङ) अनुसंधान आयोजित करना, और जहां वांछनीय हो, उसमें समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का निपटारा करना;

(छ) मामले अध्ययन बोर्ड के पास भेजना;

(ज) उसके कार्यक्षेत्र में के ऐसे किसी भी मामले पर विचार करना जो अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) कुलगुरु की मंजूरी से किसी अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करना, ऐसी संयुक्त बैठकें कुलगुरु द्वारा बुलायी जायेंगी और उनकी अध्यक्षता उसके द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष द्वारा की जायेगी; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. अध्ययन बोर्ड.- (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. वित्त और लेखा समिति.- (1) एक वित्त और लेखा समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलगुरु- अध्यक्ष;

(ख) आयुष विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(ग) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ङ) विद्या परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(च) नियंत्रक - सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख) और (ग) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) वित्त और लेखा समिति, उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लेखाओं, व्ययों की प्रगति और ऐसे समस्त नवीन प्रस्तावों की, जिनमें नवीन व्यय अन्तर्वलित हो, परीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय के लेखाओं का वार्षिक विवरण और वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्त और लेखा समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए और तत्पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह उचित समझे, प्रस्तुत करने के लिए रखा जायेगा।

(4) वित्त और लेखा समिति निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) उत्पादक कार्य के लिए उधारों के आगमों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमाओं की प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय की आस्तियों और संसाधनों के उत्पादक विनियोजन और प्रबन्ध की सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों के संवर्धन की सम्भावनाओं को तलाशना और उनका अवलम्ब लेना;

(घ) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देना;

(ङ) वित्तीय मामलों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के समुचित क्रियान्वन को सुनिश्चित करना;

(च) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् या किसी भी अन्य प्राधिकारी निकाय या समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट वित्तीय मामलों पर सलाह देना; और

(छ) वित्तीय मामलों में किसी भी भूल या अनियमितता, जो इसके ध्यान में आये, की रिपार्ट कुलगुरु को देना, जो मामले की गंभीरता का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित त्वरित कार्रवाई करेगा या उसे प्रबन्ध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

(5) वित्त और लेखा समिति की अन्य शक्तियां और कर्तव्य और इसकी बैठकों की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

20. खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड.- (1) विश्वविद्यालय एक खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड स्थापित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बोर्ड का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. अनुसंधान बोर्ड, नवाचार बोर्ड और कोई अन्य विश्वविद्यालय निकाय.- ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

22. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i) कुलगुरु,
(ii) प्रतिकुलगुरु,
(iii) कुल-सचिव,
(iv) संकायों के संकायाध्यक्ष,
(v) नियंत्रक,
(vi) सम्पदा अधिकारी, और
(vii) विश्वविद्यालय सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

23. कुलगुरु.- (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलगुरु के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आयुष की किसी शाखा के आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलगुरु, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी भी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं से संसक्त नहीं होना चाहिए;
(ख) भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, आयुष क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई भी अन्य अधिकारी; और

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्,

और कुलाधिपति, इन व्यक्तियों में से एक को खोजबीन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलगुरु के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलगुरु के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलगुरु के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलगुरु की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, किन्तु तीसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(8) कुलगुरु, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलगुरु के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलगुरु के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलगुरु के पद के कृत्यों के, राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलगुरु द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलगुरु किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलगुरु को दी जाये।

(13) जहां, कुलगुरु के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलगुरु, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलगुरु, ऐसी दरों पर जैसीकि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलगुरु, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलगुरु, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह पर, तीन वर्ष की कालावधि से अनधिक के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कुलाधिपति अवधारित करे, नियुक्त किया जायेगा।

(18) कुलगुरु विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(19) कुलगुरु को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो वह विषय बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकारी होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(20) कुलगुरु, यह समाधान हो जाने पर कि किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकारी की शक्तियों के परे है, प्राधिकारी से उसकी कार्रवाई

या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको कि कुलगुरु ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें विफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

24. कुलगुरु का हटाया जाना.- (1) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलगुरु इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलगुरु का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलगुरु को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलगुरु को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलगुरु को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलगुरु, कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलगुरु के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

25. कुलगुरु की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलगुरु विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और

कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलगुरु बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलगुरु, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों और निकायों जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलगुरु का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलगुरु इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलगुरु की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलगुरु ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलगुरु द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलगुरु, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलगुरु, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

26. प्रतिकुलगुरु.- विश्वविद्यालय के प्रतिकुलगुरु की नियुक्ति ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलगुरु के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुल-सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी, जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये, का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा।

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलगुरु का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलगुरु को सलाह देगा और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलगुरु के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा, और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या,

यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा।

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलगुरु, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल-सचिव धारा 49 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें या जिनकी कुलगुरु या बोर्ड द्वारा उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

28. **संकायाध्यक्ष.-** (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जिसे निम्नलिखित अधिमान क्रम में कुलगुरु द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य/निदेशक;

(ख) संबंधित संकाय में आचार्य की रैंक के विषयों के विभागाध्यक्ष।

(2) संकायाध्यक्ष तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और कोई भी व्यक्ति उसकी विगत पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के अवसान तक पुन: नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

29. संकायाध्यक्ष के कृत्य.- (1) किसी संकाय का संकायाध्यक्ष उस संकाय से संबंधित परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संकायाध्यक्ष**,** संकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उनकी कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष को**,** अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों की बैठकों में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं हो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

30. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलगुरु के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक वित्त और लेखा समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) नियंत्रक-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त और लेखा समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों, और समस्त धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त और लेखा समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टाक की जांच की जाती है;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलगुरु के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

(छ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करना, जो कुलगुरु द्वारा उसे सौंपे जायें या परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

31. सम्पदा अधिकारी.- (1) बोर्ड सम्पदा अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लॉनों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति, अर्हता तथा निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा अवधारित की जायेंगी।

32. अन्य अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और कृत्य परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(2) अन्य अधिकारियों के वेतन**,** परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें।

अध्याय-5

परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम

33. परिनियम.- ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें,

परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगें, अर्थात्:-

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान;

(ख) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं और छात्रावासों का स्थापन और संधारण;

(च) वसीयतों, दान ओर विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबन्ध;

(छ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों और उनके कार्य के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया;

(ज) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अध्यापकों की अर्हताएं; और

(झ) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हैं या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें;

34. परिनियमों का बनाया जाना, उनका संशोधन, प्रवर्तन और निरसन.- (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये जा सकेगें या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परिनियमों द्वारा संशोधित या निरसित या परिवर्धित किये जा सकेंगे।

(2) प्रबन्ध बोर्ड परिनियम के प्रारूप पर या तो स्व-प्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर विचार कर सकेगा।

(3) जहां कोई परिनियम विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित करता है, वहां,-

(क) ऐसे परिनियम के प्रारूप को प्रस्तावित किये जाने से पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा; और

(ख) प्रबन्ध बोर्ड, स्वप्रेरणा पर विचार किये गये किसी ऐसे परिनियम को पारित किये जाने से पूर्व संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे विचारार्थ प्रबन्ध बोर्ड को वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित किसी भी परिनियम को तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) परिनियम या उनके कोई संशोधन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

35. आर्डिनेन्सों का विस्तार और उनका बनाया जाना.- (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी नियमों का उपबंध करने के लिए आर्डिनेन्स बना सकेगा, अर्थात्:-

(क) छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा;

(घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण;

(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण, उपस्थिति और अनुशासन की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) अनुसंधान में मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों को मान्यता;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(झ) छात्रों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा पालन और प्रवृत्त किये जाने वाले नियम;

(ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, नियुक्ति की अर्हता और शर्तें;

(ट) प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली समितियों के कर्तव्य और शक्तियां;

(ठ) विश्वविद्यालय के कुल-सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(ड) परीक्षकों की नियुक्तियों और कर्तव्यों को विनियमित करने वाली शर्तें;

(ढ) विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से की गयी संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(ण) विश्वविद्यालय में, या उसकी ओर से शिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(त) ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों, द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जा सकेगें; और

(थ) साधारणत: ऐसे समस्त विषय, जिनका उपबंध प्रबन्ध बोर्ड की राय में, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक है:

परन्तु विश्वविद्यालय में या उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, परीक्षा की स्कीम में प्रवेश, परीक्षकों की उपस्थिति और नियुक्ति से संबंधित

किसी भी आर्डिनेन्स पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आर्डिनेन्स के प्रारूप को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(2) प्रबन्ध बोर्ड को, उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे या तो ऐसे किसी संशोधन के साथ, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाया जाये, या पूर्णत: या भागत: पुन: विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेगें और ऐसे समस्त आर्डिनेन्स, कुलाधिपति ,द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात्, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगें।

36. नियम और उनका बनाया जाना.- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, जहां प्रबंध बोर्ड से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा नियम बनाये जायें, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित विषयों के संबंध में और अपने कार्यकलापों के संचालन और ऐसे प्राधिकारी द्वारा गठित की गयी समितियों के कार्यकलापों के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। ऐसे नियम इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधो से असंगत नहीं होंगे।

अध्याय-6

सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

37. सम्बद्धता.- (1) विश्वविद्यालय से संबंद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय कुल-सचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगा और विद्या परिषद् का यह समाधान करेगा:-

(क) कि महाविद्यालय उस परिक्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जहां महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में

शिक्षण और अध्यापन के बारे में परिक्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा;

(ख) कि महाविद्यालय नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबंधाधीन रहेगा;

(ग) कि उसके अध्यापन कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा अर्हताएं और उनकी पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं कि महाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए सम्यक् उपबंध किये जा सकें;

(घ) कि भवन, जिनमें महाविद्यालय अवस्थित किया जाना है, उपयुक्त हैं और यह कि उन छात्रों के लिए, जो अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ नहीं रह रहे हैं, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित वासों में निवास के लिए और छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए आर्डिनेन्स के अनुरूप उपबंध किये जायेंगे;

(ङ) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किये गये है या किये जायेंगे;

(च) कि समुचित रूप से उपस्कृत प्रयोगशाला या संग्रहालय में चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए, परिनियमों और आर्डिनेंसों के अनुरूप इंतजाम किये जायेंगे;

(छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारीवृन्द के कुछ सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय या उसके निकट या छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा;

(ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि उनके निरन्तर अनुरक्षण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबन्ध किये जा सकें, और

(झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, नियत करने वाले नियम इस प्रकार विरचित नहीं किये गये हैं जिसमें उसी के पड़ोस में विद्यमान किसी महाविद्यालय के साथ ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्वलित हो जाये, जो शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली हो।

(2) कि आवेदन-पत्र में यह आश्वासन अन्तर्विष्ट होगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात् प्रबंध या अध्यापन कर्मचारीवृन्द में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों और समस्त अन्य परिवर्तनों की, जिनके परिणामस्वरूप उप-धारा (1) में उल्लिखित अपेक्षाओं में से किन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाये या पूर्ति निरन्तर नहीं होती रहे, विद्या परिषद् को तत्काल रिपोर्ट की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्या परिषद्-

(क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विषयों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जिन्हें आवश्यक और सुसंगत समझा जाये, किसी सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई स्थानीय जांच किये जाने का निदेश देगी;

(ख) ऐसी और जांच भी करेगी जो उसे इसके बारे में आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) उसे संप्रेषित किन्हीं शर्तों के पुनर्विचार के लिए आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर, यदि कोई हो, सम्यक् विचार करेगी;

(घ) खंड (क) और (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणाम का कथन करते हुए, इस प्रश्न पर कि क्या आवेदन पत्र को संपूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, अपनी राय अभिलिखित करेगी।

(4) कुलसचिव आवेदन पत्र और समस्त कार्यवाहियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उसे

आवश्यक प्रतीत हो, उस आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

(5) जहां आवेदन या उसके किसी भी भाग को मंजूर कर लिया जाता है, वहां राज्य सरकार के आदेश में वह शिक्षण पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होगा जिसके संबंध में महाविद्यालय को संबद्ध किया गया है, जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है, वहां ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

(6) राज्य सरकार अपना आदेश कर दे उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कुल-सचिव, प्रबंध बोर्ड को आवेदन उस पर उप-धारा (3) से (5) के अधीन की गयी कार्यवाई और उससे संसक्त समस्त कार्यवाहियों के संबंध में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आवेदन, उप-धारा (4) के अधीन किये गये मंजूरी या नामंजूरी के किसी आदेश से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

38. संबद्धता का संवर्धन.- जहां कोई महाविद्यालय शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिससे यह संबद्ध है, परिवर्धित करने की वांछा करता है, वहाँ जहां तक हो सके, धारा 37 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

39. अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाओं को मान्यता.- (1) विद्या परिषद् को महाविद्यालय से भिन्न किसी संस्था को चिकित्सा की भारतीय पद्धति में, अनुसंधान या विशिष्ट अध्ययन की किसी मान्यताप्रत संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था जो ऐसी मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक हो, कुलसचिव को आवेदन पत्र भेजेगी और आवेदन पत्र में निम्नलिखित मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात्:-

(क) प्रबन्ध निकाय का गठन और उसके कार्मिक;

(ख) विषय और पाठ्यक्रम जिनके विषय में मान्यता चाही गयी है;

(ग) वास सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधाएं और विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए उपबंध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) कर्मचारिवृन्द की संख्या, उनकी अर्हताएं और वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य;

(ङ) उद्गृहीत फीस या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूंजीगत व्यय, और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज के लिए किये गये वित्तीय उपबन्ध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पर विचार करने से पूर्व कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति या, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच का निदेश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में उस संस्था को मान्यता दी गयी हैं और प्रबंध बोर्ड को उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

40. संस्थाओं का अनुमोदन.- (1) विद्या परिषद् को किसी एकल अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन चिकित्सा की भारतीय पद्धति में विशेषज्ञीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप, अनुसंधान या अन्य शैक्षणिक कार्य के लिए किसी संस्था को अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था, जो ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हो कुल-सचिव को एक आवेदन-पत्र भेजेगी और आवेदन-पत्र में निम्नलिखित मामलों के संबंध में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात्:-

(क) अध्यापक का नाम, अर्हताएं, अनुभव और अनुसंधान कार्य जिसके अधीन अनुमोदित कार्य किया जाना है;

(ख) कार्य की प्रकृति या विषय जिसके लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं;

(ग) वास-सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबन्ध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) उद्गृहीत या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय और संस्था के निरंतर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज, के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व, कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जांच का निदेश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जांच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जांच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में उस संस्था को अनुमोदित किया गया है, और प्रबंध बोर्ड की उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी के कारण वर्णित किये जायेंगे।

41. महाविद्यालय का निरीक्षण और रिपोर्टें.- (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्था और अनुमोदित संस्था ऐसी रिपोर्टें,

विवरणियां और अन्य जानकारी देगा, जिनकी विद्या परिषद्, ऐसे महाविद्यालय या संस्था की दक्षता को आंकने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपेक्षा करे।

(2) विद्या परिषद् प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करायेगी।

(3) विद्या परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्रवाई, जो उसे धारा 37 की उप-धारा (1), धारा 39 की उप-धारा (2) या, यथास्थिति, धारा 40 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो, करने की अपेक्षा कर सकेगी।

42. सम्बद्धता का प्रत्याहरण.- (1) महाविद्यालय को सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, यदि महाविद्यालय धारा 37 की उप-धारा (1) के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय उससे संबद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय ऐसी रीति से संचालित होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत किये जा सकेंगे या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव केवल विद्या परिषद् में आरंभ किया जायेगा। विद्या परिषद् का ऐसा सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव करने का आशय रखता है उसकी सूचना देगा और वे आधार लिखित रूप में कथित करेगा जिन पर ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विद्या परिषद् संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसी सूचना सहित कि महाविद्यालय की ओर से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत किसी अभ्यावेदन पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, सूचना की एक प्रति और उप-धारा (2) में उल्लिखित लिखित कथन भेजेगी:

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(4) अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर विद्या परिषद् प्रस्ताव सूचना, कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरीक्षण, और ऐसी और जांच जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् प्रबंध बोर्ड को एक रिपोर्ट देगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त प्रबंध बोर्ड ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् मामले में अपनी राय अभिलिखित करेगा:

परन्तु संबद्धता के प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला प्रबंध बोर्ड का कोई संकल्प तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे संकल्प को प्रबंध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन नहीं मिला हो, ऐसा बहुमत प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा।

(6) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के उससे संबंधित प्रस्ताव और सभी कार्यवाहियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश करेगी जो उसे उचित प्रतीत हो और उससे प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगी।

(7) जहाँ उप-धारा (6) के अधीन किये गये आदेश द्वारा संबद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत कर लिये गये हैं या उपांतरित किये गये हैं, वहां ऐसे प्रत्याहरण या उपान्तरण के आधार आदेश में कथित किये जायेंगे।

43. मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण.- (1) किसी संस्था को मान्यता या अनुमोदन द्वारा प्रदत्त अधिकार, विद्या परिषद् द्वारा, यदि संस्था उसकी मान्यता या अनुमोदन की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल हो गयी है या उसे समनुदेशित कार्य का संचालन ऐसी रीति से होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या

विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक संस्था को छोड़ता है, प्रत्याहृत या किसी कालावधि के लिए निलंबित किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्था के बारे में उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व विद्या परिषद् उस संस्था से लिखित सूचना द्वारा, ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर-भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि क्यों न ऐसा आदेश कर दिया जाये। कारण दर्शित करने के लिए दी गयी ऐसी कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(3) सूचना के उत्तर में उस संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और जहाँ ऐसा उत्तर प्राप्त न हुआ हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर, विद्या परिषद्, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी कि क्या मान्यता या अनुमोदन प्रत्याहृत कर लिया जाये, या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार आदेश करेगी।

अध्याय-7

स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र

44. स्नातकोत्तर अध्यापन.- (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय या ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा, ऐसे विषयों में जो परिनियमों में विहित किये जायें, संचालित किये जायेंगे।

(2) सभी स्नातकोत्तर विभाग और अनुसंधान केन्द्र सामान्यतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर स्थित होंगे। तथापि, विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं विभागों या केन्द्रों को उसके मुख्यालय से बाहर के किसी स्थान या स्थानों पर स्थापित कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें, विश्वविद्यालय केन्द्रों को विश्वविद्यालय के मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर भी बना सकेगा।

अध्याय-8
निधि और वित्त

45. विश्वविद्यालय निधि.- (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसको विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा।

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भागरूप होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे:

(क) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी अभिदाय या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय की फीस और प्रभारों से आय को सम्मिलित करते हुए समस्त स्रोतों से आय; और

(ग) वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों।

(3) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे बैंक जो राज्य सरकार द्वारा प्रबंध बोर्ड की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाये, में रखी जायेगी।

46. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलगुरु के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वित्त और लेखा समिति की टिप्पणियों सहित, बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प

पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जैसाकि राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपार्ट सहित, कुलगुरु द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

47. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किन्हीं भी निश्चित निधियों का ऐसे प्रयोजन, जिनके लिए वे प्राप्त की गयी थीं, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे दीर्घकाल में राज्य सरकार पर वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना हो।

48. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

49. वार्षिक रिपोर्ट.- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलगुरु के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, से एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

अध्याय-9

प्रकीर्ण

50. छात्रों का नामांकन.- किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिनियमों द्वारा यथा विहित अर्हताएं नहीं रखता है।

51. छात्रों का निवास.- विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्रावास में, या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें, निवास करेगा।

52. सम्मानिक उपाधि.- यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को कोई सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाये कि वह उनकी राय में, विशिष्ट स्थिति और हैसियत के कारण, ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और जहाँ उनकी सिफारिश को, प्रबन्ध बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित प्रबन्ध बोर्ड के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो और कुलाधिपति द्वारा उस सिफारिश की पुष्टि कर दी जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उससे कोई भी परीक्षा देने की अपेक्षा किये बिना इस प्रकार सिफारिश की गयी सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगा।

53. समितियां.- विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों को समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी। ऐसी समितियां ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकेंगी, जो समिति को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

54. विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति.- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलगुरु के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

55. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यत: साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

56. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.- विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे विषयों जैसे बीमा, पेंशन, भविष्य निधि में फायदे या ऐसे अन्य फायदों के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें ऐसे उपबन्ध करेगा, जो वह उचित समझे।

57. भविष्य निधि का सरकारी खजाने में जमा किया जाना.- (1) जहाँ विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए धारा 56 के अधीन भविष्य निधि स्थापित की है वहां ऐसी निधि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे निदेशों, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा दे, के अनुसार राज्य के सरकारी खजाने में जमा की जायेगी और उस पर-

(क) निधि का अभिदाता अपने भविष्य निधि खाते में के अतिशेष पर उसी दर से ब्याज का हकदार होगा जिससे राज्य का सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में अतिशेष पर तत्समय हकदार है; और

(ख) भविष्य निधि में से प्रत्याहरण की परिसीमाओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त नियम अभिदाता पर, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे जैसे सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।

(2) इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऐसी किसी भविष्य निधि पर लागू नहीं होगी, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) लागू होता है।

58. पद का रिक्त किया जाना.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई सदस्य कुलसचिव के माध्यम से, कुलगुरु को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र, कुलगुरु द्वारा उसकी स्वीकृति पर या कुलगुरु द्वारा पत्र प्राप्त किये जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी सदस्य किसी न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराये जाने पर, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सदस्य नहीं रहेगा।

59. संपत्तियों और जनशक्ति का अन्तरण.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से इस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के अंतरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जो आवश्यक समझे जायें-

(क) कोई भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक;

(ख) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के कोई भी अधिकार या हित; और

(ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध कोई भी निधि, अनुदान, अंशदान, संदान, सहायता या हिताधिकार।

60. अंत:कालीन उपबंध.- (1) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम,

जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों, आर्डिनेन्सों या नियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

(2) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये समस्त नोटिस और आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन तत्समान प्राधिकारी द्वारा बनाये हुए या जारी किये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

61. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.- जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्य से भिन्न) किसी सदस्य के पद में ऐसे सदस्य की पदावधि की समाप्ति के पूर्व, कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति सदस्य के नामनिर्देशन, नियुक्ति या, यथास्थिति, सहयोजन द्वारा यथाशीघ्र सुविधानुसार भरी जायेगी जो तब तक ही पद धारित करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित, नियुक्त या सहयोजित किया गया है, पद धारित करता, यदि रिक्ति नहीं होती।

62. कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होंगी।

63. संकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूर्ण किया जाना.- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों और आर्डिनेन्सों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संकाय की परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने की हकदार, संस्था के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तुरन्त पूर्व अध्ययन कर रहा था या संकाय की किसी परीक्षा के लिए पात्र था, उसकी तैयारी के लिए उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा और

विश्वविद्यालय, संकाय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से उपबन्ध करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

64. विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या निकाय के गठन के बारे में विवाद.- यदि, इस अधिनियम के या किसी परिनियम, आर्डिनेंस या नियम के किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में या इस बारे में कोई भी प्रश्न उद्भूत हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है या सदस्य नहीं रह गया है तो वह मामला, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या निकाय की याचिका पर या स्वप्रेरणा से, कुलगुरु द्वारा कुलाधिपति को इसी प्रकार निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि अपेक्षित हो, तो प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा। कुलाधिपति ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

65. अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए या विश्वविद्यालय के किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया है या जो किये गये किसी कार्य के लिए प्रतिकारात्मक भत्ते या फीस के रूप में विश्वविद्यालय निधि से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जब वह ऐसी नियुक्ति या कार्य से संसक्त कर्तव्यों और कृत्यों का पालन कर रहा हो और उनके पालन से सम्बन्धित समस्त मामलों के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

66. विधिक कार्यवाहियाँ.- विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा, या कुलगुरु द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप

से नामनिर्दिशित किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या प्रतिरक्षित की जायेंगी।

67. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

68. परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.- (1) विश्वविद्यालय का समय-समय पर बनाया गया प्रत्येक परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, संशोधन द्वारा या अन्यथा बनाया गया विश्वविद्यालय का प्रत्येक परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए रखा जायेगा जो एक सत्र में या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों में कोई भी उपांतरण करने के लिए सहमत होता है या सदन इस बात पर सहमत होता है कि परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् परिनियम, आर्डिनेन्स, और नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से, एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा से संबंधित है। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न संघटक महाविद्यालय, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा प्रदान करने के लिए संबद्ध निजी आयुर्वेद महाविद्यालय और संस्थान हैं।

राज्य देश में, अधिकतम संख्या में आयुष शिक्षण संस्थानों वाला अग्रणी राज्य है। राजस्थान राज्य के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आयुष शिक्षा पर बेहतर नियंत्रण और समन्वय के लिए, पूर्वी राजस्थान में, एक पृथक् आयुष विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। एक अन्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं और गुणवत्ता सुदृढ़ होंगी।

इसके अतिरिक्त इससे इस क्षेत्र की दीर्घकालिक मांग पूरी करने के साथ ही बजट सत्र 2024-2025 में वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का अनुपालन भी होगा।

"राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर" के नाम से एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(9) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 04 मार्च, 2026

प्रेषक: डॉ. प्रेम चन्द बैरवा प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026 "राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय" की अजमेर में स्थापना के लिए उपबंध करता है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपगत किये जाने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है। तदनुसार, अवसंरचना की स्थापना और संनिर्माण के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में पच्चीस करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 33 से 36 यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकारियों को उक्त खण्डों में प्रगणित मामलों के संबंध में क्रमश: परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,
प्रभारी मंत्री।

Bill No. 9 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN AYURVED, YOGA AND NATUROPATHY UNIVERSITY, AJMER BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to establish and incorporate a teaching, research and affiliating University for the purpose of ensuring efficient and systematic instruction, teaching, training, research and development in the field of AYUSH and to achieve aims and objects of National Education Policy, AYUSH Policy and Health Policy of the State Government.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University, Ajmer Act, 2026.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Affiliated college" means colleges affiliated under section 37;

(b) "Approved institution" means an institution approved under section 40;
(c) "Authorities" mean the authorities of the University as specified by or under this Act;
(d) "AYUSH" means Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy system of medicine;
(e) "Board" means the Board of Management of the University constituted under section 11;
(f) "Faculty" means the faculty of Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, constituted under this Act;
(g) "Hostel" means a unit of residence for students maintained by the University, an affiliated college or a recognized or an approved institution;
(h) "Indian System of Medicine" means the ashtang Ayurved system of medicine including Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, whether supplemented or not by such modern advances, as are consistent with the fundamental principles of Indian System of Medicine and as the University may from time to time determine;
(i) "Institution" means an educational institution engaged, in imparting instruction, teaching and training and in research and development in the Indian System of Medicine;
(j) "NEP" means National Education Policy issued by the Central Government from time to time;
(k) "prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances or Rules;
(l) "Principal" means the Chief Executive Officer of a College or any person duly appointed to act as such;
(m) "Recognised institution" means an institution recognized under section 39;
(n) "Statutes", "Ordinances" and "Rules" mean respectively the Statutes, Ordinances and Rules of the University made under this Act;
(o) "Teacher" means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a

person who may be declared by the Statutes to be a teacher;

(p) "University" means the Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University, Ajmer constituted under this Act;

(q) "University center" means a center where research is conducted or post-graduate studies are imparted as determined by the Statutes or Ordinances, in that behalf;

(r) "University college" means a college, which the University may establish or maintain under this Act or a college transferred to the University and maintained by it; and

(s) "University department" means any post-graduate or Research institution or department maintained as such by the University.

CHAPTER-II

THE UNIVERSITY

3. Incorporation of University.- (1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Board of Management and Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constitute a body corporate by the name of "The Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University, Ajmer".

(2) Headquarters of the University shall be at Ajmer.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued by the said name.

(4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, to raise loans

on the security of its assets and to contract and to receive donations and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that the power to raise any such loan shall be exercised after obtaining previous permission of the State Government.

4. Object of the University.- The object of the University shall be to disseminate, create and preserve knowledge of Indian System of Medicine and other disciplines as per NEP and understanding by teaching, research, extension of education and service and by effective demonstration, in general and in particular the object shall be-

(1) to carry out its responsibility of new inventions, preservation and dissemination of knowledge of Indian System of Medicine and to achieve the aims and objectives of NEP, AYUSH and Health policies;

(2) to extend the benefits of knowledge and skills for developing total health of individuals and society by associating the University closely with local and regional health problems;

(3) to facilitate research and specialization in the field of AYUSH;

(4) to promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continuously offer opportunities of upgrading discovery in all fields of AYUSH with use of modern communication, media and technologies;

(5) to build up financial self-sufficiency by undertaking academic and allied programmes and resource generative services in a cost effective manner;

(6) to serve as an academic centre of excellence for all students and academicians from different parts of the country and outside of the country; and

(7) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

5. Powers and duties of the University.- Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the University shall have the following powers and shall perform the following duties, namely:-

(1) to provide for instructions, teaching, training and research in branches of Indian System of Medicine and in such other branches as per education policies of Central and State Government, as it may think fit, to make provisions for research, advancement and dissemination of the knowledge of the said system and to promote and encourage the knowledge of Indian System of Medicine in its original concept and any other branches as per AYUSH and Health policies and NEP;

(2) to make such provisions as would enable affiliated colleges, recognized institutions and approved institutions to undertake specialization of studies;

(3) to establish and organize common pharmaceutical laboratories, drug testing laboratories, libraries, wellness centers, museums, pharmacies and other equipments for teaching and research at national and international level subject to the provisions of any other law for the time being in force;

(4) to establish, takeover, maintain, manage and supervise colleges, affiliated colleges, university departments, university centers and institutes of research or specialized studies at national and international level subject to the provisions of any other law for the time being in force;

(5) to institute professorship, associate professorship, assistant professorship and any other posts of teachers required by the University;

(6) to appoint or recognize persons as professors, associate professors or assistant professors or otherwise as teachers of the University;

(7) to lay down the courses or instructions for the various examinations;

(8) to guide teaching in colleges, University departments, University centers or recognized and approved institutions;

(9) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;

(10) to hold examinations and to confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who-

(a) have pursued approved courses of study in the University or in an affiliated college unless exempted therefrom in the manner prescribed by the Statutes, Ordinances and Rules and have passed the examinations prescribed by the University, or

(b) have carried on research under conditions prescribed by the Ordinances or Rules;

(11) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner laid down by the Statutes;

(12) to admit educational institutions to the privileges of the University and to withdraw such privileges;

(13) to inspect colleges, recognized institutions and approved institutions and to take measures to ensure that proper standards of instructions, teaching or training are maintained in them and that adequate library and laboratory provisions are made therein;

(14) to control and co-ordinate the activities of, to give financial aid to, affiliated colleges, approved

institutions and recognized institutions as per norms;

(15) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(16) to fix, to demand and to receive or recover such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;

(17) to establish, maintain and manage hostels;

(18) to co-ordinate, supervise, regulate and control the residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(19) to co-ordinate, supervise, regulate and control the conduct of teaching and research work of University centres, University departments, affiliated colleges and the institutions recognized or approved by the University;

(20) to institute and manage the following, namely:-

(a) Publication Department,

(b) Pharmaceutical Department,

(c) Herbal Garden,

(d) Research Centre, and

(e) Information, Education and Communication Bureau;

(21) to make provisions-

(a) for extra-mural teaching and other recognized activities,

(b) for physical education, National Cadet Corps and National Social Services,

(c) for student unions, and

(d) for sports and athletic activities;

(22) to co-operate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(23) to invite research-scholars, students, professors, Vaidyas, medical practitioners and other interested persons in the study of Indian System of Medicine to give lectures, instructions or otherwise help in the study of the Indian System of Medicine and to determine honoraria and other expenses payable to them;

(24) to collect, edit or publish manuscripts, books, periodicals, pamphlets and papers in the subject of Indian System of Medicine and for that purpose to establish works and open printing press;

(25) to carry out or help surveys and research work in the field of Medicine, Pharmacopoeia, Panchkarma, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy, Toxicology and History of Indian System of Medicine;

(26) to appoint or recognize persons working in any other University or other organisations as adjunct professors, visiting professors of the University for specified periods;

(27) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies, Universities, Institutions etc. subject to rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf;

(28) to provide for periodical assessment of the performance of teachers and non-teaching employees of the colleges or institutions and University;

(29) to receive grants, subscriptions, donations and gifts for the purpose of University consistent with the object for which the University is established;

(30) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University and generally to cultivate and promote Indian System of Medicine as well as its other branches of learning;

(31) besides this, any other discipline/course/faculty shall be instituted in accordance with NEP; and

(32) for development and promotion of Indian System of Medicine, the University may open and operate pharmacy stores and centers of AYUSH products.

6. Jurisdiction.- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), the jurisdiction of the University shall extend to all the constituent, affiliated or autonomous colleges and to such other colleges, institutes, institutions and departments within the State of Rajasthan as may be specified by notification in the Official Gazette by the State Government.

(2) The State Government may, by order in writing,-

(a) require any institute, institution or college within the State to terminate with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or

(b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government is required to be

self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government College situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college of the University. All the movable and immovable properties of such college shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such Government Colleges under the administrative control, after being found suitable, through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or, as the case may be, employees of the University.

7. Admission to the University.- (1) The University shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Rules, be open to all persons.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-

(a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard; or

(b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree, diploma or other academic distinction; or

(c) to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interests or discipline of the University or the rights and privileges of other students and employees; or

(d) to admit to any course of study students larger in number than those prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), reservation of seats in admission for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More

Backward Classes, Economically Weaker Sections, women and any other catogeries shall be made in accordance with the provisions of any law for the time being in force or in accordance with the policy of the State Government.

8. Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at the convocations thereof and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them.

(3) The Chancellor may of his own motion or on application, call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein, and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or vested in him by or under this Act.

9. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he may direct-

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any college, institute, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in

that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

CHAPTER-III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10. Authorities of University.-The following shall be the authorities of the University, namely:-

(i) Board of Management,

(ii) Academic Council,

(iii) Faculties,

(iv) Boards of Studies,

(v) Finance and Accounts Committee,

(vi) Research Board,

(vii) Board for Sports and Student Welfare,

(viii) Innovation Board, and

(ix) Such other Bodies of the University as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

11. Board of Management.- (1) There shall be a Board of Management of the University which shall be the principal executive body of the University. The Chancellor, as soon as the first Vice-Chancellor is appointed, take action to constitute such Board in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Board shall consist of the following members, namely:-

(I) the Vice-Chancellor of the University- ***Ex-officio*** **Chairman**;

(II) Ex-officio Members-

(i) Deans of Faculties;

(ii) the Secretary in charge of AYUSH Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;

(iii) the Secretary in charge of Finance Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;

(iv) the Director of Ayurved, Government of Rajasthan;

(v) the Director of Homeopathy, Government of Rajasthan;

(vi) the Director of Unani, Government of Rajasthan;

(vii) the Vice-Chancellor, National Institute of Ayurveda, Deemed to be University, Jaipur; and

(viii) the Registrar of the University shall be the Member-Secretary but shall not have the right to vote;

Explanation.- For the purpose of clauses (ii) and (iii) "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department;

(III) Nominated and co-opted Members-

(i) one distinguished Ayurvedic educationist nominated by the Chancellor;

(ii) one prominent industrialist related to AYUSH field nominated by the Government of Rajasthan;

(iii) one Senior Professor of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur nominated by the Vice-Chancellor of

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur;

(iv) one Head of the Department, nominated by the Vice-Chancellor from amongst the heads of University departments or such departments of affiliated colleges;

(v) two educationists of Indian System of Medicine nominated by the State Government;

(vi) two Members of the State Legislative Assembly nominated by the Speaker;

(vii) one Principal, co-opted by Board of Management from amongst the Principals of affiliated colleges; and

(viii) one teacher from the University Department or affiliated colleges having a minimum ten years experience of post-graduate teaching or research and who is not a Head of University Department or Department of affiliated colleges, nominated by the Vice-Chancellor.

(3) One-third Members present at a meeting of the Board shall constitute the quorum for meeting.

(4) There shall be not less than two meetings of the Board of management in a year and the gap between two meetings shall not be more than six months.

(5) The nominated and co-opted members of the Board of Management shall hold office for a period of three years from the date of their nomination or co-option.

12. Powers and duties of the Board of Management.- The Board of Management shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

(a) to make such provisions, as may enable colleges and institutions to undertake specialized studies and, where necessary or desirable, organize and make provisions for

common libraries, museums, laboratories and equipments for teaching and research;

(b) to establish departments, colleges, institutions, hostels and provide housing for staff, on the recommendation of the Academic Council;

(c) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances, subject to approval by the Chancellor;

(d) to control and supervise all administrative affairs of the University;

(e) to hold, control and arrange for administration of assets and properties of the University;

(f) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(g) to determine the form of a common seal for the University, and provide for its custody and use;

(h) to approve the budget estimates as received from the Finance and Accounts Committee with its own modifications, if any;

(i) to consider and adopt the annual report, annual accounts and audit report;

(j) to accept, on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfer of any movable or immovable property to the University;

(k) to transfer by sale, or otherwise, any movable or immovable property on behalf of the University;

(l) to borrow, lend or invest funds and receive donations on behalf of the University as recommended by the Finance and Accounts Committee;

(m) to lay down policy for administrating funds at the disposal of the University for specific purposes;

(n) to recommend to Chancellor for conferment of honorary degrees and academic distinctions;

(o) to institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as recommended by the Academic Council and arrange for convocations for conferment of the same, as provided by the Statutes;

(p) to institute fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, awards, medals and prizes;

(q) to make rules for collaboration with other Universities, institutions and organizations for mutually beneficial academic programmes;

(r) to create posts of teachers, officers and other employees of the University, subject to prior approval of the State Government and to determine qualification for appointment thereon;

(s) to approve appointment of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers of the University, Registrar and Comptroller;

(t) to regulate and approve the appointments of Visiting Professors, Emeritus Professors, Fellows and Writers and to determine the terms and conditions of such appointments;

(u) to appoint consultants and other persons on contract basis;

(v) to prescribe procedure for selection and appointment of non-teaching employees of University;

(w) subject to any law made by the State Government in this behalf, to prescribe rules and procedure for appointment of teachers, officers and other employees in all approved

institutions and affiliated colleges and terms and conditions of their services;

(x) to prescribe fees and other charges;

(y) to prescribe honoraria, remunerations and fees, and travelling and other allowances for paper setters, examiners and other examination staff, visiting faculty, and for such other services rendered to the University;

(z) to receive and consider report of the working of the University from the Vice-Chancellor periodically;

(za) to cause an inquiry to be made in respect of any matter concerning the proper conduct, working and finances of colleges, institutions or departments of the University;

(zb) to enforce discipline in teachers, officers, employees and students;

(zc) to generate revenue by Research or Innovation or Startup or Projects consultancy etc.; and

(zd) to do all such acts as are necessary to carry out the object of the University.

13. Academic Council.- (1) The Academic Council shall be responsible for laying down the academic policies in regard to maintenance and improvement of standards of teaching, research and collaboration programme in academic matters and evaluation of work load of the teachers.

(2) The Academic Council shall consist of the following, namely:-

(a) the Vice-Chancellor - *Ex-officio* Chairman;

(b) the Deans of Faculties;

(c) Chairman of the Boards of Studies;

(d) one Principal nominated by the Vice-Chancellor;

(e) two Heads of Departments from University departments or such departments of affiliated colleges nominated by the Vice-Chancellor;

(f) one teacher representing each faculty having a minimum ten years experience in teaching to be co-opted by the Academic Council, other than the Principals of colleges, Heads of University departments and Heads of recognized or approved institutions;

(g) two eminent experts in the field of Indian System of Medicine nominated by the Chancellor; and

(h) the Registrar shall act as an *Ex-officio* Member-Secretary of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall meet not less than twice in a year and the gap between two meetings shall not be more than six months.

(4) The terms of the nominated or co-opted members of the Academic Council shall not exceed three years or till retirement age, whichever is earlier:

Provided that a nominated member shall be eligible for renomination.

14. Powers and duties of the Academic Council.- (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Authority of the University and shall be responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and examinations in the University.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Academic Council shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

(a) to recommend to the Board of Management regarding institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(b) to recommend to the Board of Management to make, amend or repeal Ordinances on issues related to academic matters;

(c) to make, amend or repeal Rules on academic matters subject to the approval of Board;

(d) to allocate subject to the faculties;

(e) to make proposals for the establishment of colleges, departments, institutions, libraries, laboratories and museums in the University;

(f) to consider and make recommendations regarding new proposals for creation of posts of teachers and other academic staff required by the University;

(g) to make proposals to the Board of Management for the institution of fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and make Rules for their awards;

(h) to prescribe qualifications and norms for appointment of paper-setters, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations;

(i) to appoint committees to review periodically the utility and practicability of the existing courses of study and the desirability or necessity of reviewing or modifying them in the light of new knowledge or changing societal requirements;

(j) to generally, advise the University on all academic matters and submit to the Board of Management feasibility reports on academic programmes; and

(k) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act, the Statutes and Ordinances.

15. Faculties.- There shall be following Faculties in the University, namely:-

(i) Ayurved,

(ii) Yoga and Naturopathy,

(iii) Unani,

(iv) Siddha,

(v) Homoeopathy, and

(vi) Such other faculties as may be prescribed by the Statutes in accordance with NEP.

16. Composition of Faculties.- (1)The Faculties shall consist of the following, namely:-

(a) the Dean of the Faculty,

(b) Heads of Departments of the Faculty,

(c) three eminent scholars to be co-opted by the Faculty concerned, and

(d) two teachers to be co-opted by the Faculty concerned.

(2) The co-opted members of a Faculty shall hold office for a period of three years or till retirement age, whichever is earlier.

17. Functions of the Faculties.- Each Faculty shall discharge the following functions, namely:-

(a) to recommend to the Academic Council courses of study and curricula and schemes of examinations, after consulting the Boards of Studies;

(b) to recommend to the Board of Management through the Academic Council what Boards of Studies should be instituted and the strength of such Boards, and to constitute them as provided in section 18;

(c) to recommend to the Academic Council conditions for the award of degrees and other academic distinctions;

(d) to co-ordinate work in the subjects assigned to the Faculty;

(e) to organize research, or to secure co-ordination therein when desirable;

(f) to deal with any matter referred to it by the Academic Council;

(g) to remit matters to Boards of Studies;

(h) to consider any matter within its purview referred to it by a Board of Studies;

(i) to hold meetings with the sanction of the Vice-Chancellor jointly with any other Faculty or Faculties, such joint meetings to be convened by the Vice-Chancellor and to be presided over by him or by a Dean nominated by him; and

(j) to discharge such other functions as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Rules.

18. Boards of Studies.- (1)There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be prescribed by the Statutes.

(2) The constitution, powers and duties of the Boards of Studies shall be as prescribed by the Statutes.

19. Finance and Accounts Committee.- (1) There shall be a Finance and Accounts Committee consisting of the following, namely:-

(a) the Vice-Chancellor-Chairman;

(b) the Secretary in charge of the Department of AYUSH or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;

(c) the Secretary in charge of the Department of Finance or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;

(d) one person, nominated by the Board of Management from amongst its members;

(e) one person, nominated by the Academic Council from amongst its members; and

(f) the Comptroller – Member-Secretary.

Explanation.- For the purpose of clauses (b) and (c), "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department.

(2) The Finance and Accounts Committee shall meet at least four times in a year to examine the accounts, the progress of expenditure and all new proposals involving fresh expenditure in the light of the provision available.

(3) The annual statement of accounts and the financial estimates (budget) of the University, prepared by the Comptroller shall be laid before the Finance and Accounts Committee for consideration and recommendation, and for submission thereafter to the Board of Management for such action as it thinks fit.

(4) The Finance and Accounts Committee shall perform the following additional functions and duties, namely:-

(a) to recommend to the Board of Management the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University, including the proceeds of loans for productive work;

(b) to recommend to the Board of Management productive investment and management of University assets and resources;

(c) to explore the possibilities of, and resort to, augmenting the resources for the development of the University;

(d) to advise the Board of Management of matters related to the administration of the property and the funds of the University;

(e) to ensure proper implementation of the State Government's orders issued from time to time, in respect of financial matters;

(f) to advise on financial matters referred to it by the Board of Management, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University; and

(g) to report to the Vice-Chancellor any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice who may take suitable prompt actions after assessing the seriousness of the matter or refer it to the Board of Management.

(5) The other powers and duties of the Finance and Accounts Committee and the procedure at its meetings shall be such as may be prescribed by the Statutes.

20. Board for Sports and Students Welfare.- (1) The University shall establish a Board for Sports and Students Welfare.

(2) The constitution, powers and duties of the Board established under sub-section (1) shall be as prescribed by the Statutes.

21. Research Board, Innovation Board and any Other University Bodies.- The constitution, powers and duties of such bodies shall be as may be declared by the Statutes.

CHAPTER-IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

22. Officers of University.- The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) the Vice-Chancellor,

(ii) the Pro-Vice-Chancellor,

(iii) the Registrar,

(iv) the Deans of Faculties,

(v) the Comptroller,

(vi) the Estate Officer, and

(vii) such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

23. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor of any stream of AYUSH in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of -

(a) a person nominated by the Board of Management who should not be connected with the University or any affiliated college or recognised or approved institutions;

(b) a person having special knowledge in the field of AYUSH nominated by the Ministry of AYUSH, Government of India;

(c) the Secretary to the Government, Department of AYUSH or any other officer nominated by the State Government; and

(d) one distinguished Ayurvedic Educationist nominated by the Chancellor,

and the Chancellor shall, appoint one of these persons as the Chairman of the Search Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term but shall not be eligible for third term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board of Management of the University.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(17) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(18) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University. He shall have all such powers as may be necessary for true observance of the provisions of this Act and Statutes.

(19) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(20) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to the Board or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.

24. Removal of Vice-Chancellor.- (1) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor shall, at any time before making such order, on the advice of State Government place the Vice-Chancellor under suspension, during pending inquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

25. Powers and duties of the Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be an *ex-officio* Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration matters of concern to the University. He or she shall have power to convene

the meetings of the Board and the Academic Council and such other authorities or bodies as may be prescribed.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Rules and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken, he or she shall take such action as he or she deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within fifteen days of the date on which the action is communicated to him.

(8) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.

26. The Pro-Vice-Chancellor.- The Pro-Vice-Chancellor of the University shall be appointed in such manner, for such period, on such terms and conditions and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

27. Registrar.- (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He or she shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale).

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Board, the Academic Council and any other authority declared by the Statutes to be the Authority of the University.

(4) It shall be the duty of the Registrar-

(a) to be the custodian of the records, the Common Seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his or her charge; and

(b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties, the Board of Studies, and of any committee appointed by the authorities of the University.

(5) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and record in the proceedings to the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he or she had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, the order or as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him or her in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(ii) After examining the note of dissent reported under sub-clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him or her, may make such interim or final order as he or she thinks fit, which shall be binding on the University:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Board or, as the case may be, Vice-Chancellor may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(6) The Registrar shall be responsible to ensure the compliance of the provisions of section 49.

(7) The Registrar shall exercise such powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be prescribed or required of him or her from time to time by the Vice-Chancellor or by the Board.

28. Dean.- (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor in following order of preference, namely:-

(a) Principal/Director of Post-Graduate colleges in the Faculty concerned;

(b) Head of Department of subjects of the rank of professors in the Faculty concerned.

(2) The Deans shall hold office for a period of three years and no person shall be eligible for re-appointment until a period of at least three years has lapsed after the expiry of his last term.

29. Functions of Dean.- (1) The Dean of a Faculty shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Rules relating to that Faculty.

(2) The Dean shall preside at the meetings of the faculty and shall record its proceedings.

(3) The Dean shall have the right to be present and speak at the meetings of the Boards of Studies relating to his faculty but not to vote thereat unless he is a member thereof.

30. Comptroller.- (1) The Comptroller shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Comptroller shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service (not below selection scale).

(3) The Comptroller shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Finance and Accounts Committee.

(4) The Comptroller shall-

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
(b) manage the property and investments of the University including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance and Accounts Committee and the Board; and
(c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him by the Board, or as may be prescribed:

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the prior approval of the Board.

(5) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall-

(a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are

expended for the purposes for which they are granted or allotted;

(b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance and Accounts Committee and the Board;

(c) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;

(d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutions maintained by the University;

(f) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment and to bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons, at fault;

(g) disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or for which provision is required to be made by a Statute but has not been made;

(h) call from any office, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns as he may consider necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties; and

(i) exercise such other powers, perform such other duties and discharge such other financial

functions as are assigned to him by the Vice-Chancellor or are prescribed by the Statutes or Ordinances.

31. Estate Officer.- (1) The Board may appoint the Estate Officer.

(2) The Estate Officer shall be incharge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The appointment, eligibility and terms and conditions of the Estate Officer shall be determined by the Statutes.

32. Other Officers.- (1) The mode of appointment and the functions of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

(2) The salary, emoluments and other conditions of service of the other officers shall be such as may be determined by the Board of Management.

CHAPTER-V

STATUTES, ORDINANCES AND RULES

33. Statutes.- Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) conferment of honorary degrees;

(b) holding of convocations to confer degrees;

(c) powers and duties of the officers of the University;

(d) constitution, powers and duties of the authorities of the University save as provided in this Act;

(e) institution and maintenance by the University of colleges, departments, institutions and hostels;

(f) acceptance and management of bequests, donations and endowments;

(g) procedure at meetings of the authorities of the University and for the transaction of their business;

(h) qualifications of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and teachers in affiliated colleges and recognised and approved institutions;

(i) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and

(j) all matters which by this Act are to be or may be prescribed by the Statutes.

34. Making, amendment, operation and repeal of Statutes.- (1) The Statutes may be made by the Board of Management or may be amended or repealed or, added to by Statutes made by the Board of Management, in the manner hereinafter provided.

(2) The Board of Management may take into consideration the draft of the Statute either of its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) Where a Statute affects the powers or duties of any officer or authority of the University,-

(a) the Board of Management shall, before proposing the draft of such Statute, ascertain and consider the views of the officer or authority concerned; and

(b) the Board of Management, before passing any such Statute taken into consideration of its own motion, shall ascertain and consider the views of the officer or authority concerned.

(4) Every Statute passed by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor who may give or withold his assent thereto or refer it back to the Board of Management for consideration.

(5) No Statute passed by the Board of Management shall have validity until assented to by the Chancellor.

(6) The Statutes or any amendment thereto shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

35. Scope of Ordinances and their making.- (1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes made thereunder, the Board of Management may make Ordinance to provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University;

(b) the course of study and curricula to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to courses of study and curricula and examinations for degrees, diplomas and other academic distinctions;

(d) the recognition and inspection of hostels;

(e) conditions of residence, conduct, attendance and discipline of students of the University;

(f) conduct of examinations;

(g) recognition of supervisors for guiding research;

(h) emoluments and conditions of service of the University teachers;

(i) rules to be observed and enforced by affiliated colleges in respect of transfer of students;

(j) number, qualification and condition of appointment of teachers of the University;

(k) duties and powers of the Committees to be appointed by the authorities;

(l) the powers and duties of the Registrar and other officers and servants of the University;

(m) the conditions governing appointments and duties of examiners;

(n) the mode of execution of contracts or agreements for, or on behalf of the University;

(o) the fees to be charged for courses of instruction in, or on behalf of the University;

(p) all matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by Ordinances; and

(q) generally, all matters for which provision is, in the opinion of Board of Management, necessary for the exercise of the powers conferred, or the performance of the duties imposed, upon the University authorities by this Act or Statutes:

Provided that no Ordinances concerning admission to the University or to its examinations, courses of study, scheme of examination, attendance and appointment of examiners shall be considered unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic Council.

(2) The Board of Management shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under the provison to sub-section (1) but may return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which the Board of Management may suggest.

(3) All Ordinances made by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor for approval and all such Ordinances shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette after the approval by the Chancellor.

36. Rules and their making.- An authority of the University shall, subject to the approval of the Board of Management where the Rules are made by an authority other than the Board of Management, have power to make rules in respect of the matters provided by this Act, Statutes or Ordinances and for the conduct of its affairs and the affairs of the committees constituted by such authority. Such rules shall not be inconsistent with the provisions of this Act, Statutes and Ordinances.

CHAPTER-VI

AFFILIATION, RECOGNITION AND APPROVAL

37. Affiliation.- (1) A College applying for affiliation to the University shall send a letter of application to the Registrar and shall satisfy the Academic Council-

(a) that the college will supply a need in the locality in respect of instruction and teaching in the Indian System of Medicine having regard to the suitability of the locality where the college is to be established;

(b) that the college is to be under the management of a regularly constituted governing body;

(c) that the strength and qualification of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provision for the course of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;

(d) that the buildings in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the Ordinances for the residence in the college or in lodging approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students;

(e) that due provision has been made or will be made for a library;

(f) that arrangements have been or will be made in conformity with the Statutes and Ordinances for imparting instruction in Indian System of Medicine in a properly equipped laboratory or museum;

(g) that due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and some members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of the students;

(h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and

(i) that the college rules fixing the fees, if any, to be paid by the students, have not been so framed as to involve such competition with any existing college in the same neighbourhood as would be injurious to the interest of education.

(2) The application shall contain as assurance that after the college affiliated, any changes in the management or teaching staff and all other changes, which result in any of the requirements mentioned in the sub-section (1) not being fulfilled or continued to be fulfilled, shall be forthwith reported to the Academic Council.

(3) On receipt of a letter of application under sub-section (1) the Academic Council shall-

(a) direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf in respect of the matters referred to in sub-section (1) and such matters as may be deemed necessary and relevant;

(b) make such further inquiry as may appear to it to be necessary;

(c) give due consideration to the request, if any, made by the applicant for a reconsideration of any of the conditions conveyed to him;

(d) record its opinion on the question whether the application should be granted or refused either in whole or in part, stating the result of any inquiry under clauses (a) and (b).

(4) The Registrar shall submit the application and all proceedings to the State Government, which, after such inquiry as may appear to it to be necessary, shall grant or refuse the application or any part thereof.

(5) Where the application or any part thereof is granted, the order of the State Government shall specify the courses of instruction in respect of which the college is affiliated and where the application of any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

(6) As soon as possible after the State Government makes its order, the Registrar shall submit to the Board of Management a full report regarding the application, the action taken thereon under sub-sections (3) to (5) and of all proceedings connected therewith.

(7) An application under sub-section (1) may be withdrawn at any time before an order of grant or refusal is made under sub-section (4).

38. Extension of affiliation.- Where a College desires to add to the courses of instruction in respect of which it is affiliated, the procedure prescribed by section 37 shall, so far as may be, be followed.

39. Recognition of institutions of research and specialized studies.- (1) The Academic Council shall have the power to recognize, as a recognized institution, any institution of research or specialized studies in Indian System of Medicine other than a college.

(2) An institution which desires to have such recognition shall send letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely:-

(a) constitution and personnel of the managing body;

(b) subjects and courses in regard to which recognition is sought;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been or is proposed to be made;

(d) the strength of the staff, their qualifications and salaries and the research work done by them; and

(e) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is recognized and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

40. Approval of institutions.- (1) The Academic Council shall have the power to approve an institution as an approved institution for specialized studies, laboratory work, internship, research or other academic work in the Indian System of Medicine under the guidance of a single qualified teacher.

(2) An institution which desires to have such approval shall send a letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely:-

(a) the name, qualifications, experience and research work of the teacher under whom approved work is to be done;

(b) the nature of work or the subjects for which work is proposed to be done;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been made or is proposed to be made; and

(d) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorised by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is approved and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

41. Inspection of college and reports.- (1) Every affiliated college, recognized institution and approved institution shall furnish such reports, returns and other information as the Academic Council may require to enable it to judge the efficiency of the college or institution.

(2) The Academic Council shall cause every such college or institution to be inspected from time to time by one or more competent persons authorized by it in this behalf.

(3) The Academic Council may call upon any college or institution so inspected to take, within a specified period, such action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 39, or as the case may be, sub-section (2) of section 40.

42. Withdrawal of affiliation.- (1) The rights conferred on a college by affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified if the college has failed to carry out any of the provisions of sub-section (1) of section 37 or the college has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the college is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education.

(2) A motion for the withdrawal or the modification of such rights shall be initiated only in the Academic Council. The member of the Academic Council who intends to move such a motion shall give notice of it and shall state in writing the grounds on which it is made.

(3) Before taking the said motion into consideration, the Academic Council shall send a copy of the notice and written statement mentioned in sub-section (2) to the Principal of the college concerned together with intimation that any representation in writing submitted within a period specified in such intimation on behalf of the college, will be considered by the Academic Council:

Provided that the period so specified may, if necessary, be extended by the Academic Council.

(4) On receipt of the representation or on the expiry of the period referred to in sub-section (3), the Academic Council after considering the notice of motion, statement and representation and after such inspection by competent person or persons authorized by it in this behalf and such further inquiry as may appear to it to be necessary shall make a report to the Board of Management.

(5) On receipt of the report under sub-section (4) the Board of Management shall, after such further inquiry, if any, as may, appear to it to be necessary, record its opinion in the matter:

Provided that no resolution of the Board of management recommending the withdrawal of affiliation shall be deemed to have been passed by it unless the resolution has obtained the support of two-thirds of the members present at a meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management.

(6) The Registrar shall submit the proposal and all proceedings, if any, of the Board of Management and the Academic Council relating thereto, to the State Government which, after such further inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, shall make such order as it deems fit and communicate it to the Board of Management.

(7) Where by an order made, under sub-section (6), the rights conferred by affiliation are withdrawn in whole or in part or modified, the grounds for such withdrawal or modification shall be stated in the order.

43. Withdrawal of recognition or approval.- (1) The rights conferred on an institution by recognition or approval may be withdrawn or suspended for any period by the Academic Council, if the institution has failed to observe any conditions of its recognition or approval or the work assigned to it, is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education, or the teacher recognized by the University leaves the institution.

(2) Before making an order under sub-section (1) in respect of any recognised or approved institution, the Academic Council shall by notice in writing, call upon the institution to show cause within one month from the date of the receipt of the notice, why such an order should not be made. The period so given for showing the cause may, if necessary, be extended by the Academic Council.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the institution in reply to the notice, and where no such reply is received, on the expiry of the period referred to in sub-section (2), the Academic Council shall, after such inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, decide whether the recognition or approval should be withdrawn or as the case may be, suspended and make an order accordingly.

CHAPTER-VII

POST GRADUATE TEACHING AND RESEARCH CENTER

44. Post-graduate teaching.- (1) All post-graduate instruction, teaching, research and training shall be conducted by the University or by such affiliated colleges or institutions and in such subject as may be prescribed by the Statute.

(2) All post-graduate departments and research centres shall ordinarily be located at the headquarters of the University. However, the University may locate any of such departments or centres at a place or places outside its headquarters.

(3) The University may maintain University centres at places other than the headquarters of the University on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.

CHAPTER-VIII

FUND AND FINANCE

45. University Fund.- (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of or be paid into, the University Fund:-

(a) any contribution or grant by the State Government, the Union Government, or the University Grants Commission;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and charges; and

(c) bequests, donations, endowments and other grants, if any.

(3) The University Fund shall be kept in any scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934) or the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Central Act No. 23 of 1955) or being such a bank as may be approved by the State Government on the recommendation of the Board of Management.

46. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance and Accounts Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

47. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
(b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
(c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
(d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

48. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (l) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

49. Annual Report.- The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The Annual Report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

CHAPTER-IX

MISCELLANEOUS

50. Enrolment of Students.- No students shall be enrolled as a student of the University unless he possesses such qualifications as may be prescribed by the Statutes.

51. Residence of the students.- Every student of the University shall reside in a hostel or under such conditions as may be prescribed by the Ordinances.

52. Honorary Degree.- If not less than two-thirds of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree, or other academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion, by reason of eminent position and attainments, fit and proper person to receive such degree or other academic distinction and where their recommendation is supported by a majority of not less than two-thirds of the member of the Board of Management present at a meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management and the recommendation is confirmed by the Chancellor, the Board of Management may confer on such person the honorary degree or other academic distinction so recommended without requiring him to undergo any examination.

53. Committees.- All the authorities of the University shall have power to appoint committees. Such committee may include persons who are not members of the authority appointing the committee.

54. Appointment of Teachers and Officers of the University.- (1) The appointment of teachers and officers of the University shall, save as provided in this Act, be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be furnished with the Vice-Chancellor

and a copy thereof shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

55. Age of retirement.- Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

56. Pension, Insurance and Provident Fund.- The University shall make such provisions for the benefit of officers, teachers and other employees in matters such as insurance, pension, provident fund or other benefits as may deem fit, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

57. Provident Fund to be deposited in Government Treasury.- (1) Where the University has established provident fund for the benefit of its officers, teachers and other employees under section 56, such fund shall notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, be deposited in the State Government Treasury in accordance with such directions as the State Government may, from time to time by an order in written give and thereupon -

(a) the subscriber to the fund shall be entitled to interest on the balance in his provident fund account at the same rate, at which the State Government servant is for the time being entitled to on the balance of his provident fund account; and

(b) the rules for the time being in force relating to the limits of withdrawals from the provident fund applicable to such Government servant shall, so far as may be, apply to the subscriber.

(2) Nothing in the section shall apply to a Provident Fund established by the University to which the Employees' Provident

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Central Act. No. 19 of 1952) applies.

58. Vacating of office.- (1) Any members of any authority or body of the University may resign from his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor through the Registrar and the resignation shall take effect on its acceptance by the Vice-Chancellor or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter by the Vice-Chancellor whichever event occurs earlier.

(2) Any member of any authority or body of the University shall cease to be a member on his being convicted by a court of law of an offence, which in the opinion of the Board of Management involves moral turpitude.

59. Transfer of properties and manpower.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for the transfer of-

(a) any officer, teacher, employee or servant;

(b) any movable or immovable property situated in the jurisdictional area of this University or any rights or interest therein; and

(c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised,

from the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur to this University on such terms and conditions as may be specified in the orders.

60. Transitory provisions.- (1) All Statutes, Ordinances and Rules made under the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and shall

continue to be in force until they are superseded or modified by the Statutes, Ordinances or Rules made under this Act.

(2) All notices and orders, made or issued by any authority under the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made or issued by the corresponding authority under this Act and shall continue to be in force until they are superseded or modified under this Act.

61. Filling of casual vacancies.- When any vacancy occurs in the office of a member (other than an *ex-officio* member) of any authority or other body of the University before the expiry of the term of office of such member, the vacancy shall be filled up, as soon as conveniently may be, by nomination, appointment or co-option, as the case may be, of a member who shall hold office so long only as the member in whose place he has been nominated, appointed or co-opted, would have held it, if the vacancy had not occurred.

62. Proceedings not invalidated by vacancies.- No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of any vacancy in its membership.

63. Completion of courses of studies in institutions recognized by the Faculty.- Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes and Ordinances made thereunder any student of an institution entitled to train students for the examinations of the Faculty who immediately before the date on which this Act comes into force was studying or was eligible for any examination of the Faculty shall be permitted to complete his course in preparation therefore and the University shall provide for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes for the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the courses of studies of the Faculty.

64. Disputes as to Constitutions of University, Authority or Body.- If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act, or of any Statute, Ordinance or Rule or as to whether a person has been duly appointed as, or is entitled to be or ceases to be, a member of any authority or other body of the University, the matter may, on petition by any person or body directly affected or *suo moto*, be referred by the Vice-Chancellor to the Chancellor and shall be so referred to the Chancellor if the members of the Board of management so require. The Chancellor shall, after taking such advice, as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

65. Officers and employees to be public servants.- Every officer and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

Explanation.- For the purposes of this section any person who is appointed by the University for a specified period, or for a specified work of the University or who receives any remuneration by way of compensatory allowance or fee for any work done from the University Fund shall be deemed to be an officer or employee of the University while he is performing, and in relation to all matters relatable to the performance of, the duties and functions connected with such appointment or work.

66. Legal proceedings.- All suits and other legal proceedings by or against the University shall be instituted, prosecuted or defended on behalf of the University by the Registrar or any other officer specifically nominated in this behalf by the Vice-Chancellor.

67. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such order, consistent with provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

68. Statutes, Ordinances and Rules to be published in the Official Gazette and laid before the house of the State Legislature.- (1) Every Statutes, Ordinances and Rules of the University made from time to time, shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statutes, Ordinances and Rules of the University made by amendment or otherwise after the commencement of this Act shall as soon as may be after it is made be laid before the House of the State legislature while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House of the State Legislature agrees to make any modifications in the Statutes, Ordinances, and Rules or agrees that the Statutes, Ordinances and Rules should not be made, such Statutes, Ordinances and Rules shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Statutes, Ordinances and Rules.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State has one Ayurved University, namely, the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur. This University deals with Ayurveda, Unani, Naturopathy, Homoeopathy, Sidhha and Yoga education, research and extension education in the whole of the State of Rajasthan. The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur has various constituent colleges of Ayurveda, Unani, Homoeopathy and Yoga and Naturopathy, affiliated private ayurved colleges and institutes to provide education in Indian System of Medicine.

The State is a pioneer to have the highest number of AYUSH educational institutes in the country. Looking to the large geographical area of the State of Rajasthan, there is a need to have a separate AYUSH University in the eastern Rajasthan to improve quality of education, better control and co-ordination for the AYUSH education. Establishment of another AYUSH University will strengthen the facilities and quality of higher education and research.

This will further fulfill the long standing demand of the sector as well as comply with the announcement made by the Finance Minister in the Budget Session 2024-2025.

It is proposed to establish a New University named "The Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University, Ajmer".

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,

Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(9) विधि/2/2025 जयपुर, दिनांक 04 मार्च, 2026

प्रेषक: डॉ. प्रेम चन्द बैरवा प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University, Ajmer Bill, 2026 provides for the establishment of "The Rajasthan Ayurved, Yoga and Naturopathy University" at Ajmer. The recurring and non-recurring expenditure to be incurred for the establishment of the University has been computed. Accordingly, rupees twenty five crores as non-recurring expenditure will be required for the construction and establishment of infrastructure and rupees two crores per year will be required as recurring expenditure to run the University, which may grow with time.

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 33 to 36 of the Bill, if enacted, shall empower the University or its Authorities to make Statutes, Ordinances and Rules respectively, with respect to the matters enumerated in the said clauses.

The proposed delegation is of normal character and relates to matter of detail.

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा,
Minister Incharge.

Bill No. 9 of 2026

THE RAJASTHAN AYURVED, YOGA AND NATUROPATHY UNIVERSITY, AJMER BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

to establish and incorporate a teaching, research and affiliating University for the purpose of ensuring efficient and systematic instruction, teaching, training, research and development in the field of AYUSH and to achieve aims and objects of National Education Policy, AYUSH Policy and Health Policy of the State Government.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Dr.Prem Chand Bairwa, **Minister-Incharge**)

2026 का विधेयक सं. 9

राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

आयुष के क्षेत्र में दक्ष और व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक अध्यापन, अनुसंधान और सम्बद्धक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आयुष नीति और राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(डॉ. प्रेम चन्द बैरवा**, प्रभारी मंत्री)**